



# जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-07.03.2025

पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन व अपराध गोष्ठी कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।

आज दिनांक 08.03.2025 को पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कानून व्यवस्था, अपराध की रोकथाम व अनावरण हेतु शेष अभियोगों की समीक्षा, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये गैंगस्टर, गुंडा व गैंग पंजीकरण कराने, लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण, जनसुनवाई, शासन द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। गोष्ठी में भा0द0वि0/बीएनएस0 के अपराध, महिला उत्पीड़न, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधी अपराध व निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये एवं ई-आफिस के कुशल संचालन हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गोष्ठी में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर आम-जनमानस को जागरूक करने, लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों तथा अपहृताओं की शीघ्र बरामदगी करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगन्तुकों/ फरियादियों/ जनप्रतिनिधियों के साथ विनम्र व शालीन व्यवहार करें, जिससे कि आम जनता बिना किसी भय के अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु थानों पर आ सके। फरियादियों की शालीनतापूर्वक समस्याओं को सुनकर तत्काल निष्पक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

गोष्ठी से पूर्व महोदय द्वारा सैनिक सम्मेलन कर पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया एवं निराकरण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश एवं पूरे प्रदेश में जनपद शामली का आई0जी0आर0एस0 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में प्रथम स्थान आने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहन किया गया तथा गोष्ठी के पश्चात थाना प्रभारीगण/विवेचको को विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु टैब वितरित किये गये।



**थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा एक राय होकर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।**

ज्ञात हो कि दिनांक 07.03.2025 को वादी श्री राजीव गर्ग पुत्र श्री रविन्द्र गर्ग निवासी मौहल्ला गगन विहार थाना कोतवाली शामली के भाई रजत गर्ग व अंकित गर्ग पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा एक राय होकर जानलेवा हमला करने की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- 1.सुधीर पुत्र धर्मपाल निवासी महालक्ष्मी एन्कलेव थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 2.संजीव पुत्र महावीर सिंह निवासी मौहल्ला नबीपुरा थाना थानाभवन जनपद शामली ।

**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 19 अलग-अलग मामलों में लोक अदालत द्वारा 19 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 6,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-**

1. वर्ष 2019 में अभियुक्त नदीम पुत्र खुर्शीद निवासी नानपूर्व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 525/2019 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2020 में अभियुक्त भूरा पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 338/2020 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2024 में अभियुक्त सलीम पुत्र रमजानी निवासी मौहल्ला अफगानान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 362/24 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2021 में अभियुक्त कन्हैया पुत्र शिवनारायण निवासी मील रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 434/2021 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2021 में अभियुक्त प्रवेज पुत्र शफीक अहमद निवासी मोमीन नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 420/2021 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
6. वर्ष 2021 में अभियुक्त विकास पुत्र देशपाल निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 18/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 1700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
7. वर्ष 2024 में अभियुक्त सईद उर्फ खाचा पुत्र इमामुद्दीन निवासी बट्टो वाला कुआँ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
8. वर्ष 2020 में अभियुक्त आकाश पुत्र जनेश्वर निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 571/2020 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।

9. वर्ष 2014 में अभियुक्त शीतल प्रसाद पुत्र नेकी राम निवासी ग्राम रसुलपुर गुजरान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 104/2014 धारा 13 लोक प्रतिन्तिव अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
10. वर्ष 2017 में अभियुक्त तसव्वर पुत्र हारुन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 1134/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 1100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
11. वर्ष 2009 में अभियुक्त इरफान पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 635/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के कारावास का प्रावधान किया गया है।
12. वर्ष 2020 में अभियुक्त ताहिर पुत्र नसरु निवासी ग्राम बधुपुरा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 149/2020 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
13. वर्ष 2017 में अभियुक्त समुन्दर पुत्र मुरारी निवासी विरालियान थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 659/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
14. वर्ष 2019 में अभियुक्त प्रदीप पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 494/2019 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
15. वर्ष 2018 में अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी कानूनगोयान थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 512/2018 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
16. वर्ष 2023 में अभियुक्त गौरव पुत्र जितेन्द्र निवासी पकास्मा थाना सांपला जनपद रोहतक हरियाणा के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 464/2023 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
17. वर्ष 2020 में अभियुक्त करेसन पुत्र स्व0 दिलीप निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 354/2020 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025

को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

18. वर्ष 2019 में अभियुक्त इस्लाम पुत्र लियाकत निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 176/2019 धारा 13 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

19. वर्ष 2017 में अभियुक्त गोपाल पुत्र लखन निवासी खेड़ी पुनारदार अहमदगढ माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 504/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI**